

असहयोग आंदोलन के बाद बिहार में बढ़ती साम्प्रदायिकता का पुनर अध्ययन

डॉ मनीष कुमार

इतिहास शिक्षक

जी डी मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर बिहार

सार

19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में राष्ट्रीय चेतना पर्याप्त मात्रा में विकसित होने लगी थी। इसकी अभिव्यक्ति विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के रूप में परिलक्षित होती है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विरोध तथा असंतोष की भावना ने उन्हें उससे संगठित मोर्चा लेने के लिए बाध्य किया। इसी कारण इस शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में अनेक राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। 1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों की एक सम्पूर्ण देश की प्रतिनिधि राजनीतिक संगठन की स्थापना की इच्छा की पूर्ति थी। कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है जिसने 62 वर्ष के अविराम संघर्ष के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त की। गाँधी जी के भारत आगमन से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतया दो विचारधाराओं— नरमपंथी और गरमपंथी विचारों पर आधारित था। नरमपंथी नेतागण शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए प्रार्थना पत्रों द्वारा सुधार चाहते थे जबकि गरमपंथी विचारधारा वाले मानते थे कि सुधार उपहारों के रूप में नहीं मिलने वाले थे बल्कि इसके लिए लम्बे संघर्ष की आवश्यकता थी।

प्रस्तावना

दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के नूतन शक्तिशाली शस्त्र की सहायता से विजय प्राप्त करके गाँधी जी सन् 1915 में भारत लौटे। 18 भारत आने के एक वर्ष तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक समस्या पर अपने विचार प्रकट नहीं किए। उन्होंने केवल देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गाँधी जी ने युद्ध में ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त सहयोग दिया। उनका विश्वास था युद्ध के पश्चात् ब्रिटिश सरकार भारत को कल्याणकारी स्वशासन प्रदान कर देगी। परन्तु युद्धोपरान्त स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत रही।

गाँधी जी केवल आन्दोलनों के प्रतीक पुरुष ही नहीं थे, बल्कि भारत के गहरे नैतिक बोध के आधुनिक नायक भी थे। प्रारम्भ में उन्होंने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों में लगाया। 25 मई, 1915 को उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम को उन्होंने शसत्याग्रह आश्रम की संज्ञा दी। इसे वह सत्य की खोज, सत्य के प्रयोग तथा सत्य के आचरण के लिए सर्वथा उपयुक्त मानते थे। सत्य, अहिंसा,

ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्वाद, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शरीर श्रम, सर्वधर्म सौहार्द और स्वदेशी के एकादशी व्रत का प्रचार और प्रभाव आश्रम की धरोहर बन गया।

1917 में गाँधी जी राजकुमार शुक्ल और अन्य बिहारी नेताओं के आग्रह पर चम्पारण (बिहार) गए जहाँ के किसान नील कोठियों के अत्याचार से पीड़ित थे। गाँधी जी ने बिहार के राजेन्द्र प्रसाद, प्रो० जे०बी० कृ पलानी तथा बृजकिशोर बाबू आदि व्यक्तियों की सहायता से चम्पारण के किसानों की दशा का अध्ययन किया। अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित अखबारों में उनके विपरीत लिखा गया। चम्पारण के जिलाधीश ने उन्हें जिले को छोड़कर जाने का आदेश दिया। गाँधी जी द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर उन पर मुकदमा चला। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया था।

अन्त में, बिहार के लेफ्टिनेन्ट गर्वनर ने स्वयं चम्पारण के किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और जाँच समिति के प्रतिवेदन पर चम्पारण कृषक कानूनन पास किया गया। इस प्रकार गाँधी जी ने भारत आकर सर्वप्रथम चम्पारण के किसानों के दुःखों को दूर करने के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप इस बुरी प्रथा का अन्त हुआ।

गाँधी जी के समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न अहमदाबाद में मिल मालिक-मजदूर विवाद था। अगस्त 1917 से मिल मजदूरों को श्लेग बोनस दिया जा रहा था। जब श्लेग का भय समाप्त हो गया तो मिल मालिकों ने श्लेग बोनस को समाप्त करने का निर्णय किया। मजदूरों का तर्क था कि युद्ध के कारण वस्तुएं महंगी हो गई थीं। गाँधी जी ने पंच फैसले द्वारा समस्या को हल करने का प्रयास किया लेकिन मालिकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तब गाँधी जी ने मजदूरों को अहिंसापूर्वक और दान लिए बिना दृढ़ता से हड़ताल करने का निश्चय करवाया। परन्तु दो सप्ताह में स्थिति डाँवाडोल हो गई तो गाँधी जी ने यह हड़ताल वापिस ले ली और भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। इससे मिल मालिकों को आत्मग्लानि का अनुभव हुआ और समझौते के साथ हड़ताल समाप्त हो गई।

अहमदाबाद की लड़ाई के बाद गाँधी जी गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के संघर्ष में जुट गए। वहाँ सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी और समस्त जिले में अकाल की स्थिति थी। लगान माफी के मामले पर किसानों व अधिकारियों में ठनी हुई थी। गाँधी जी ने सत्याग्रह प्रारम्भ करने की घोषणा करके गाँव-गाँव दौरा किया और किसानों को सत्याग्रह का सिद्धान्त समझाया। गाँधी जी ने शक न दोष का नारा लगाया। सरकार ने अत्याचार आरम्भ कर दिए और गाँधी जी कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुए और सरकार ने लोगों को पैसा भरने के लिए बाध्य नहीं किया।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतन्त्रता की भावना को कुचलने के लिए श्रौलट एक्ट प्रस्तुत किया। श्रौलट एक्ट के सिलसिले में प्रथम बार गाँधी जी खुल कर भारतीय राजनीति की पृष्ठ भूमि पर दृष्टिगोचर हुए। उन्होंने इस विचार बिन्दु पर राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करने का निश्चय किया। गाँधी जी ने कहा कि श्रौलट एक्ट इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि सरकार, नौकरशाही तथा व्यापारियों के हितों को भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों से महत्वपूर्ण मानती है। इसलिए एक्ट हमारी स्वतन्त्रता को खुली चुनौती है।

1918 में न्यायधीश रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उपाय बताने और तदनुकूल सुझाव देना था। इस के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को वैधानिक मानकर सरकार ने भारतीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा करके 21 मार्च, 1919 को लागू कर दिया। यह अधिनियम ही रौलट एक्ट के नाम से विख्यात है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने से उसे बंदी बनाया तथा उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति के निवास तथा उसकी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखा जा सकता था। इस नियम के विरोध में पहले 20 मार्च और फिर 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल की गई, जिसमें विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं। गाँधी जी को पंजाब में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें पलवल में रोक लिया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकेल ओ डायर का प्रशासन अत्यधिक क्रूर तथा अमानवीय था। भय और आतंक के आधार पर उसने पंजाब की जनता को शांत रखा था परन्तु पंजाब में रौलट एक्ट का विरोध किया गया। हिन्दू और मुसलमान इन प्रदर्शनों में साथ-साथ शामिल हुए। रौलट एक्ट के विरुद्ध किए गये आन्दोलन ने देश को बहुत प्रभावित किया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वर्षों की नींद के बाद का जागरण बड़ा विप्लवी जागरण था।

10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस के दो नेताओं क्रमशः डॉ० किचलू और डॉ. सत्यपाल को गिरतार कर लिया। इससे लोगों में उत्तेजना फैली, विरोधस्वरूप तत्काल एक लम्बी भीड़ जमा हो गई और चारों ओर अशांति फैल गई, जगह-जगह आग लगा दी गई। 12 अप्रैल को अमृतसर शहर को सेना के हवाले कर दिया गया।

13 अप्रैल, 1919 को बैशाखी के दिन जलियांवाला बाग में इन नेताओं की गिरतारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। जब बाग में लगभग 20,000 व्यक्ति पहुँच गए तो जनरल डायर ने लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलवा दीं। अमृतसर में जुल्म यहीं पर समाप्त नहीं हुआ बल्कि जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर रेलवे स्टेशन पर तृतीय दर्जे की टिकट बंद कर दी गई। लोगों की साइकिलें छीन ली गईं। विद्यार्थियों को फौजी अफसरों के सामने दिन में चार बार हाजिरी देनी पड़ती थी।

भारतीय इतिहास में 1919 का वर्ष विपत्तियों का वर्ष था। चारों ओर अशांति थी— पंजाब में मार्शल लॉ दण्डात्मक परिणाम, टर्की की पराजय से उत्पन्न, खलीफा का प्रश्न, मांटेक््यू चेम्सफोर्ड सुधार और उसकी छिन्न-भिन्न हो जाने की आशंका।

इन विकट परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था। गाँधी जी इस समय केन्द्रीय व्यक्तित्व के रूप में थे। वे सत्याग्रह के जनक और प्रेरक होने के अलावा पंजाब जाँच समिति के सबसे सक्रिय व्यक्ति थे।

असहयोग की योजना का प्रारम्भ 1 अगस्त, 1920 को हुआ। गाँधी जी और अली भाईयों ने देश का दौरा किया अपने दौरे में गाँधी जी ने संयम के साथ कार्य करने की सलाह दी। इस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कुछ सदस्यों के विरोध के बावजूद असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। अगस्त 1920 को गाँधी जी ने वायसराय के नाम पत्र लिखा कि मैं खिलाफत और असहयोग आन्दोलन के

कारण कैसर-ए-हिन्द उपाधि, शजुलू युद्ध पदक और शबोअर युद्ध पदक लौटा रहा हूँ। ये पदक मेरे लिए सम्मानजनक और मूल्यवान हैं लेकिन मेरी आत्मा इन्हें ग्रहण नहीं करती।

गाँधी जी ने घोषित किया कि लार्ड रीडिंग को यह बात समझ लेनी चाहिए कि असहयोग करने वाले सरकार से जंगी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। सरकार से असहयोग का कदम एक क्रांतिकारी कदम था। यह युद्ध की घोषणा के समान था। लेकिन अंतर केवल इतना था कि यह अहिंसात्मक था, इसमें न किसी को घायल किया जाना था और न किसी को पीड़ा पहुँचाई जानी थी।

असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम

1- रचनात्मक

2- निषेधात्मक

1- रचनात्मक उद्देश्य

(1) तिलक के नाम पर एक करोड़ रुपये की निधि एकत्र करना।

(2) विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, कानूनी तथा आर्थिक बहिष्कार के कार्यक्रम के लिए एक करोड़ स्वयंसेवकों की भर्ती करना।

(3) बेरोजगार लोगों में 20 लाख चर्खे बाँटना।

(4) विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना।

2- निषेधात्मक उद्देश्य

(1) सरकार द्वारा प्रदान किए गए अलंकरण एवं अवैतनिक पदों का त्याग एवं स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र।

(2) वकीलों द्वारा कचहरियों और अदालतों का बहिष्कार तथा न्याय प्रबंध के लिए लोक न्यायालयों की स्थापना।

(3) सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या नियंत्रित विद्यालयों और

महाविद्यालयों का परित्याग और विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना।

(4) धारा सभा और प्रान्तीय परिषदों के लिए चुनावों का बहिष्कार।

(5) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार।

(6) मद्य निषेध।

(7) मैसोपोटामिया में सैनिक या लिपिक के रूप में सेवाकार्य के लिए भर्ती न होना।

4 फरवरी, 1920 को कलकत्ता में एक प्रांतीय कॉलेज का उद्घाटन किया गया। पटना में इन्हीं के द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। 4 महीने के भीतर देश में बहुत-सी स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना हुई जैसे प्रांतीय मुस्लिम विद्यापीठ, अलीगढ़, गुजरात विद्यापीठ इत्यादि। देश के राष्ट्रीय विचारों के नेता इन्हीं संस्थाओं से निकले, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम को सफल बनाया।

गाँधी जी सत्य और अहिंसा की साक्षात् मूर्ति थे। उन्होंने सम्पूर्ण सत्याग्रह में सत्य-अहिंसा और संयम को बनाए रखने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक सत्याग्रही के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख किया था

(1) वह चर्खा चलाना जानता हो।

(2) विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो।

(3) खद्दर पहनता हो।

(4) हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो।

(5) अहिंसा में विश्वास रखता हो।

(6) अस्पृश्यता को राष्ट्रीय कलंक समझता हो।

असहयोग आन्दोलन से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसने लोगों के मन को झकझोर दिया। सर्वत्र त्याग और बलिदान के अभूतपूर्व दृश्य देखने में आए। मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, राजेन्द्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे चोटी के वकीलों ने मुनाफे वाली वकालत छोड़ दी, सुभाष चन्द्र बोस ने आई०सी०एस० की नौकरी से इस्तीफा दे दिया।

असहयोग आन्दोलन में ब्रिटिश सरकार की नींव हिलती दिखाई पड़ी। गाँधी जी की नई सूझ ने ब्रिटिश सरकार को असमंजस में डाल दिया। कांग्रेस और सरकार में सुलह की कोशिश चलती रही। 14] 15 और 16 जनवरी, 1921 को बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें 300 महानुभावों ने भाग लिया। गाँधी जी ने कहा कि दमन-चक्र चलने तक सुलह की बात नहीं हो सकती और सम्मेलन का प्रयत्न विफल हो गया। रौलट सत्याग्रह के उपरान्त देश की राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस ने यह उचित समझा कि भविष्य की रणनीति बनाई जाए और उसे संचालित करने के लिए गाँधी जी को सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दिया जाए। इसे क्रियान्वित भी किया गया और अन्ततः औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय जनसाधारण को आवाज देने का कार्य गाँधी जी की ओर आ गया। उन्होंने जो रणनीति बनाई वह न केवल नई ही थी वरन् अद्भूत भी थी। उन्होंने भारतीय जनता के विरोध को इसी विधि से संगठित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली। यह विधि भारतीय जनता से इतर विश्व की जनता के लिए भले ही नितान्त

अपरिचित थी किन्तु ऐतिहासिक संदर्भों में भारत में भले ही विलग रूपों में किन्तु निश्चितता के साथ इससे मिलती जुलती विधि के प्रयोग के अनेक साक्ष्य विद्यमान मिलते हैं। इन विधियों के मूल में यह निहित होता है कि स्वयं को कष्ट देकर सही बात के लिए बल देना। यह भारत में कई पारम्परिक रूपों में पहले से ही विद्यमान थी।

सत्याग्रह

अहिंसा के सिद्धान्त को राजनीतिक क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिए गाँधी जी ने जिस कार्य-प्रणाली का प्रयोग किया था, उसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचार का विरोध करना। इसमें अत्याचारी के आगे न तो आत्मसमर्पण किया जाता है और न उसकी बातों को माना जाता है। यदि सत्याग्रही यह निश्चय कर लें कि चाहे जो हो जाए, अत्याचारी की आज्ञा का उल्लंघन किया जायेगा तो अत्याचारी अधिक-से-अधिक सत्याग्रही को मरवा सकता है, किन्तु आदेश का पालन नहीं करा सकता। गाँधी जी का उपदेश था कि कठोर यातनाओं एवं कष्टों को सहन करने के कारण सत्याग्रही को सत्य-निष्ठा, ईमानदारी, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्याग्रह के बारे में गाँधी जी ने स्वयं लिखा है- "यह शस्त्रबल से उल्टा है मिसाल के लिए, मान लीजिए, सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो मुझ पर लागू होता है और वह मुझे पसन्द नहीं है। अब यदि मैं सरकार पर हमला करके उसे वह कानून रद्द करने को मजबूर करूँ तो मैंने शरीर बल से काम लिया। पर मैं उस कानून को मंजूर ही न करूँ, उसे न मानने की जो भी सजा मिले, उसे खुशी से भुगत लूँ तो मैंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में अपनी बलि देनी होती है।"

निष्क्रिय प्रतिरोध

ऐतिहासिक दृष्टि से इस राजनीतिक शस्त्र का प्रयोग गाँधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में उस समय किया था जब वहाँ की गोरी सरकार भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। इस आन्दोलन का अर्थ था कि अन्याय का विरोध शस्त्रों से न करके शान्तिपूर्ण उपायों से किया जाये। गाँधी जी ने सफलतापूर्वक यह प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किये।

असहयोग

यह आन्दोलन गाँधी जी ने 1920-22 में भारत में चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश सरकार की पराधीनता से मुक्त कराना था। गाँधी जी ने आम जनता से अंग्रेज सरकार को सहयोग न करने के लिए कहा। गाँधी जी का विचार था कि किसी भी देश में अत्याचार और शोषण तभी तक रह सकता है जब तक वहाँ की जनता इसे सहन करती है। यदि सभी लोग एक होकर यह दृढ़ निश्चय कर लें कि वे अन्यायपूर्ण शासन के साथ असहयोग करेंगे तो कोई भी शासन निराधार हो कर समाप्त हो जाएगा। यदि सरकार जनता की इच्छाओं का आदर नहीं करती तो जनता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे सरकार के साथ असहयोग करे। असहयोग आन्दोलन, हड़ताल का रूप भी धारण कर सकता है तथा सामाजिक बहिष्कार अथवा धरना देने का भी।

उपवास

गाँधी जी उपवास को शीघ्र फलदायक बताते थे। उपवास के दो उद्देश्य होते थे— आत्मशुद्धि तथा अन्याय का विरोध। शुरु—शुरु में गाँधी जी उपवास का प्रयोग आत्मशुद्धि के लिए किया करते थे या भूलों के प्रायश्चित्त के लिए, परन्तु बाद में इसे राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए, निर्मम शासकों अथवा उत्तेजित जनता का हृदय परिवर्तन करने के लिए करने लगे। उनका मत था कि उपवास वही कर सकता है जिसमें पवित्रता, आत्मसंयम, नम्रता और अटल विश्वास हो। उपवास में विपक्षी को कष्ट नहीं दिया जाता, अपितु स्वयं कष्ट को सहा जाता है। गाँधी जी ने कई बार इसका उपयोग किया।

सन् 1922 में श्चौरी—चौरा हत्याकाण्ड के विरोध में गाँधी जी ने पाँच दिन का उपवास किया था। 1933 में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए पाँच दिन का उपवास किया। हिन्दू—मुस्लिम एकता के लिए 1924 में 21 दिन का और 1946 तथा 1948 में दो उपवास किये थे। गाँधी जी का कहना था कि जब सभी तरीके असफल हो जायें तो तभी उपवास को अन्तिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए।

हिजरत

स्थायी निवास स्थान को या देश को त्याग कर चले जाना शहिजरत कहलाता है। यह पुराना साधन है। प्राचीन रोम में धनी एवं कुलीन वर्गों के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए जब गरीब लोग रोम को छोड़कर अन्य जगह पर चले गये, तब कुलीन वर्गों को बाध्य हो कर उनकी माँगें स्वीकार करनी पड़ी। मक्का के कट्टरपन्थियों के अत्याचारों से बचने के लिए हजरत मुहम्मद मदीना चले गए थे। गाँधी जी ने शहिन्द स्वराज्य में कठियावाड़ की एक रियासत का उदाहरण दिया है। वहाँ की जनता को राजा की आज्ञा पसन्द नहीं आयी तो लोगों ने गाँव खाली करना शुरू कर दिया। तब राजा घबराया और प्रजा से माफी माँग ली। 1928 में गाँधी जी ने बारदौली के किसानों को हिजरत की सलाह दी। जब बम्बई की सरकार ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था तो वहाँ के किसान पड़ोसी राज्य में चले गए थे। इसी प्रकार, 1939 में गाँधी जी ने लिम्बड़ी, जूनागढ़ और विट्टलगढ़ के सत्याग्रहियों को गृहत्याग की सम्मति दी थी।

धरना देना

जब तक माँग पूरी नहीं होती तब तक एक आसन में भूखे बैठे रहने को धरना देना कहा जाता है। गाँधी जी की प्रेरणा से महिलाओं ने मादक द्रव्य जैसे— शराब, अफीम, विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरने दिये। मजदूरों ने कारखानों के दरवाजों पर धरने दिये। यह आज भी कारगर है अतः अपने हित की माँगों को मनवाने के लिए धरना दिया जाता है।

हड़ताल

गाँधी जी का विचार था कि हड़ताल का प्रयोग उचित उद्देश्य के लिए अहिंसात्मक ढंग से होना चाहिए। हड़ताल वैध कष्टों को दूर कराने का श्रमिकों का अधिकार है। किसी अन्याय की ओर सरकार या जनता का ध्यान दिलाने के लिए हड़ताल की जाती है।

ऋद्ध श्रमिकों की माँगे इतनी अधिक न हों कि उन्हें पूरा करना पूँजीपतियों के लिए असम्भव हो। 1918 में अहमदाबाद में गाँधी जी ने मजदूरों की हड़ताल में सक्रिय भाग लिया था, इसे उपवास के द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से सफल बनाया था।

भारतीय इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस देश में सत्याग्रह के तरीके प्राचीनकाल से ही कई रूपों में विद्यमान थे। जैसे— सतीप्रथा। युद्ध में हार के बाद जयपाल राजा ने संधि करके स्वयं को आत्मग्लानि से बचाने के लिए चिता में जला दिया। इसी प्रकार कश्मीरी पंडितों का पिछली शताब्दी तक का रिकार्ड मिलता है कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए आत्मदाह की चेतावनी देते थे और आवश्यकतानुसार चिता जलाकर सामूहिक रूप से उस में कूद जाते थे।

असहयोग आन्दोलन के दौरान मेरठ मण्डल के व्यक्तियों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। गाँधी जी मेरठ में पहली बार 22 जनवरी, 1920 को आये। मेरठ में गाँधी जी का भव्य स्वागत किया गया और मेरठ की जनता ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने का विश्वास दिलाया। गाँधी जी ने 1920-22 में चलाये गये असहयोग आन्दोलन की योजना पर यहीं पर पहली बार प्रकाश डाला। उन्होंने इस आन्दोलन में रचनात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किये। रचनात्मक पक्षों में हिन्दू-मुस्लिम एकता, अहिंसा, सत्याग्रह, अछूतोद्धार एवं स्वदेशी का प्रचार सम्मिलित थे और नकारात्मक रूप में असहयोग कार्यक्रम के अर्न्तगत कॉलिजों, परिषदों एवं न्यायालयों का बहिष्कार करना था।

असहयोग आन्दोलन में मेरठ जनपद के विद्यार्थियों, पेशेवर समूहों, किसानों और महिलाओं ने तन-मन-धन से कार्य किया। 21 से 23 मार्च तक प्रान्तीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गाँधी जी, अबुल कलाम आजाद, अली बन्धु और हसरत मोहानी मेरठ पधारे। दूर-दूर के जिलों से विद्यार्थियों की टोलियाँ यहाँ आयीं।

इस सम्मेलन में असहयोग एवं बहिष्कार की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी जो शीघ्र ही छिड़ने वाली प्रथम अहिंसात्मक लड़ाई का प्रारूप थी। 2 से 3 मई को मेरठ में शजिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ और असहयोग आन्दोलन को स्वीकृति दी गयी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित सीताराम ने की। इस आन्दोलन में जनपद की जनता ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग लिया। मेरठ कॉलेज में 1915 में छात्रों की संख्या 443 थी जो 1922 में घटकर 222 रह गयी। विद्यार्थियों ने गाँधी टोपी आन्दोलन भी आरम्भ किया। यह उस सरकारी आदेश के विरोध में था जिसके द्वारा विद्यालयों में गाँधी टोपी लगाना निषिद्ध कर दिया था। मेरठ में एक राष्ट्रीय विद्यालय की भी स्थापना की गयी।

कुछ लोगों ने सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया। मेरठ जनपद में कांग्रेस के जनक चौधरी रघुबीर नारायण सिंह, जो जनपद की सबसे बड़ी जमींदारी के स्वामी थे, ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त शरायसाहबर्ष की उपाधि तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया। अनेक लोग पुलिस अत्याचार के शिकार हुए। चौधरी साहब, प्यारे लाल शर्मा, ज्योति प्रसाद, विष्णु शरण दुबलिश, चौधरी विजयपाल सिंह जेल गये।

महिलाओं में जेल यात्रा की शुरुआत विद्यावती ने की। 19 फरवरी 1922 में गांधी जी ने चौरी-चौरा काण्ड की हिंसा के कारण असहयोग आन्दोलन स्थापित कर दिया।

जनपद में असहयोग आन्दोलन के स्थगन से निराशा व्याप्त हो गयी। विशेषतः उन नवयुवकों में निराशा अधिक थी जिन्होंने विद्यालयों का बहिष्कार किया था। उनके द्वारा पुनः क्रान्तिकारी शक्तियों को संगठित होने का अवसर मिला और मेरठ में शहिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शाखा गठित हो गयी जिसका सम्पर्क रामप्रसाद बिस्मिल, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद जैसे क्रान्तिकारियों से था। दुबलिश इस संगठन के अग्रणी युवा नेता था। प्रसिद्ध काकोरी षड्यन्त्र काण्ड की व्यूह-रचना भी मेरठ में हुई थी। इस योजना के अनुसार चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काकोरी के स्टेशन पर रेल रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इस काण्ड में दुबलिश जी को प्रमुख अभियुक्त के रूप में 10 वर्ष के कारावास की सजा हुई जिसे बाद में आजन्म कारावास में बदल दिया गया।

रचनात्मक कार्यक्रमों की दृष्टि से अछूतोद्धार समिति का गठन मेरठ में मदनमोहन मालवीय एवं लाला लाजपतराय की प्रेरणा से किया गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं भूमिहार ब्राह्मण श्री अलगूराय शास्त्री के नेतृत्व में 1925 ई० में हरिजनों के बच्चों की शिक्षा एवं उत्थान के लिए शकुमार आश्रम की स्थापना की गयी। इस क्षेत्र में अलगूराय शास्त्री नेतृत्व की भूमिका अत्यन्त सराहनीय ढंग से कुशलतापूर्वक निभा रहे थे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता, जो खिलाफत आन्दोलन के दौरान अपनी चरम सीमा पर थी, स्थायी सिद्ध न हो सकी। आर्यसमाजियों के द्वारा प्रारम्भ किये गये शुद्धि संगठन आन्दोलन ने मुसलमानों में तीव्र प्रतिक्रिया पैदा की और उन्होंने प्रत्युत्तर में तबलीग-तन्जीम आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। टकराव की स्थिति ने तनाव पैदा कर दिया। फलतः जुलाई 1923 में मेरठ में साम्प्रदायिक दंगे हुए। गाँधीजी द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए रखे गये 29 दिन के उपवास ने खौलते हुए दूध पर शीतल जल का तनिक छीटा दिया, परन्तु हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध नहीं सुधर सके। 1926 में आर्यसमाज के प्रसिद्ध नेता और शुद्धि-आन्दोलन के प्रणेता स्वामी श्रद्धानन्द की दिल्ली में छुरा घोंपकर हत्या मुस्लिम धर्मान्ध व्यक्तियों द्वारा कर दी गयी। उनके हत्यारों का सम्बन्ध मेरठ से था मुख्य अभियुक्त अब्दुल्ला था जो मेरठ का निवासी था। मई व नवम्बर 1928 तथा मार्च 1928 में मेरठ में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम एकता का कार्यक्रम असफल रहा।

इस काल में स्वदेशी व खादी-आन्दोलन में मेरठ की उपलब्धि सराहनीय रही। 1922 में मेरठ जिले में 60 हजार चरखे थे और 65 प्रतिशत जनता खद्दर का प्रयोग कर रही थी। 1923 में यहाँ चरखों की संख्या बढ़कर एक लाख हो गयी थी। गाँधी आश्रम खादी प्रचार का प्रमुख केन्द्र बन गया। मेरठ के बाजार विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में देश भर में प्रसिद्धि पा चुके थे। 1926 में पंडित गौरीशंकर द्वारा श्मजदूर-आश्रम की स्थापना की गयी, जिसमें कताई-बुनाई की सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं।

7-8 नवम्बर, 1927 को गढ़मुक्तेश्वर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किसानों से चरखा और खादी अपनाने की अपील की गयी। अभी भी मेरठ के बाजार विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के केन्द्र बने रहे।

1928 में सम्पूर्ण मेरठ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का आन्दोलन सक्रिय रहा। 18 नवम्बर को लाला लाजपतराय की मृत्यु के समाचार ने पुनः विप्लवी तत्त्वों को सक्रिय होने का अवसर दिया। शहिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पुनः गठित किया गया, जिसके सक्रिय नेता विमलप्रसाद जैन तथा राजेन्द्रपाल सिंह वारियर थे। 1928 में ही युवकों, मजदूरों एवं कृषकों के सम्मलेन मेरठ में हुए जनपद में श्यूथ लीग, शनौजवान भारत सभा तथा शमजदूर संगठन सक्रिय हो उठे। मेरठ कॉलिज के छात्र अत्यधिक सक्रिय थे। पुलिस अधीक्षक ने सरकार को सूचित किया कि छात्रावास उग्रवादी तत्त्वों से भरे पड़े हैं। उस समय के युवकों की भावनाओं और राष्ट्र के प्रति समर्पण का पता शनौजवान भारत सभा के उद्देश्यों के अध्ययन से चलता है। इस सभा के पाँच उद्देश्य घोषित किये गये थे

- 1- भारत में मजदूरों एवं कृषकों के एक स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना।
- 2- पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए युवकों में देशप्रेम और बलिदान की भावना जगाना।
- 3- साम्प्रदायिकता अथवा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाली संस्थाओं से कोई सम्पर्क न रखना।
- 4- किसानों और मजदूरों को संगठित करना।
- 5- भारत में श्रमिकों एवं किसानों के स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना की दृष्टि से किये गये किसी भी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक या साम्प्रदायिकता-विरोधी आन्दोलन में पूर्ण सहभागिता करना। सन् 1929 में मेरठ शसाम्यवाद षड्यन्त्र केस का केन्द्र बन गया और न केवल भारत ही वरन् ब्रिटिश पार्लियामेन्ट और इंग्लैण्ड के प्रमुख समाचार-पत्रों ने इस मुकदमें में विशेष रुचि प्रदर्शित करके मेरठ को सुर्खियों में पहुँचा दिया।

गाँधीजी देश में बढ़ती हुई समाजवादी एवं क्रान्तिकारी शक्तियों के प्रति उदासीन न थे। उन्होंने 1928 की कलकत्ता में आयोजित शअखिल भारतीय श्रमिक एवं शकृषक कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्ताव पास कर लिया कि 31 दिसम्बर, 1929 तक भारत ने स्वतन्त्र उपनिवेश के रूप में स्वाधीनता न प्राप्त की तो मैं पूर्ण स्वराज का समर्थन करूँगा। इस भाँति अंग्रेजों को एक वर्ष का समय दिया गया। गाँधीजी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया परन्तु ब्रिटिश सरकार टस से मस न हुई। कांग्रेस ने 31 दिसम्बर, 1929 को लौहार अधिवेशन में पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित किया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निर्णय लिया गया और गाँधीजी को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया। मेरठ जनपद के लोगों ने 26 जनवरी, 1930 का दिन पूर्ण स्वतन्त्रता दिवस के रूप में बहुत उत्साह से मनाया। इस समारोह में समाज के सभी वर्गों, युवक-संगठनों, विद्यार्थियों, महिलाओं, व्यापारियों आदि ने भाग लिया। उस समय के विशिष्ट जन-नारे

थे—ब्रिटिश सम्राज्यवाद का नाश होश, इंग्लिस्तान मुर्दाबादश, शूजीवाद जहर हैश, इंग्रेजी झण्डे को फाड़ दो।

उपसंहार

महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों को बेचने वाली दुकानों पर इतना जबरदस्त धरना दिया कि लगभग सभी हिन्दू व्यापारियों और कुछ मुस्लिम वस्त्र-विक्रेताओं ने भी विदेशी वस्त्रों का विक्रय बन्द कर दिया। खदर आश्रम ने अप्रैल, मई और जून के तीन महीनों में 50 हजार रुपयों का लाभ कमाया। वास्तव में 1930-31 के मध्य चलने वाले आन्दोलन में कांग्रेसी एवं क्रान्तिकारी शक्तियाँ विदेशी सरकार की कानून और व्यवस्था के लिए भयावह चुनौती बन गयीं। इस संघर्ष में जनपद के 6000 लोग जेल गये। जिले मेरठ की सभी गैर मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। विजयी उम्मीदवारों के नाम क्रमशः पंडित प्यारेलाल शर्मा, चौ० रघुवंश नारायण सिंह, चरणसिंह, खुशीराम एवं प्रकाशवती सूद थे। इनमें से पंडित प्यारेलाल शर्मा को शिक्षामंत्री बनाया गया। इस प्रकार मेरठ का राजनीतिक पटल सन् 1920 ई० से लगातार उद्वेलित रहा। इस कालखण्ड में राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर बाल-वृद्ध, नर-नारी, शिक्षित-अशिक्षित सभी वर्गों के व्यक्तियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रियता प्रदर्शित की। कांग्रेस के लिए यह काल ऐसा था जब मेरठ उसके कार्य-कलापों का सुदृढ़ केन्द्र बन चुका था। सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजादी की मशाल को प्रज्वलनशील बनाने में मेरठ की जनता ने जो सहयोग दिया, वह इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

सन्दर्भ

1. एम०के० गाँधी य दि स्टोरी ऑफ माई एक्सपिरियन्स विद टूथ, नवजीवन पब्लिसिंग हाउस, अहमदाबाद, 1927] पृ०20]
2. गिरिजा शंकर , भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी आन्दोलन , भाग-1] विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004] पृ० 86 -
3. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003] पृ० 47- पट्टाभि सीतारमैया पूर्व उद्धरित, पृ० 19 -
4. अशोक पंत रू गाँधी शताब्दी और भारत, पृ. 62-

5. लुईस फिशर रू दि लाइफ ऑफ महात्मा गाँधी न्यूयार्क, 1950] पृ० 87–88- प्रभात कुमार भट्टाचार्य य गाँधी दर्शन, पृ० 18-
6. दैनिक समाचार पत्र नव भारत टाइम्स, 17 मई, 1994 पृ० 5 - राजेन्द्र प्रसाद: चम्पारण में गाँधी जी, पृ० 125 -
7. मोहनदास कर्मचंद गाँधी ऐन ऑटो बायोग्राफी, 1948] पृ० 538 - ताराचन्द्र रू पूर्व उद्धरित, पृ० 501 - सुशील पाठक, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास , 1857–1947] विश्वविद्यालय प्रकाशन, गौरखपुर, 1993] पृ० 139 -
8. राजेन्द्र प्रसाद सिंह रू भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, पृ० 74–75 - बिपिन चन्द्र य भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, अनामिका पब्लिशर्स, दिल्ली 2000] पृ० 131–132-
9. जी०डी० तेन्दुलकर य महात्मा रू द लाइफ ऑफ मोहनदास कर्मचन्द गाँधी, भाग–1] नई दिल्ली, पृ० 195- गिरिजा शंकर रू पूर्व उद्धरित, पृ० 177 -- बिपिन चन्द्र रू पूर्व उद्धरित, पृ. 40 -
10. रविन्द्र कुमार य आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास, पृ० 81- ऋऋऋ आर०पी० अग्रवाल स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृ० 236 -
11. हरीश कुमार रू गाँधी, सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन, पृ० 151 -- रविन्द्र कुमार रू पूर्व उद्धरित, पृ० 124–134 - हरीश कुमार , पूर्व उद्धरित पृ० 152 -
12. गौरखनाथ चौबे य हमारी आजादी और गाँधी जी. पृ० 57 - जे०बी० कृपलानी य गाँधी रू हिज लाइफ एण्ड थॉट, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, 1970] पृ० 89 वही, पृ० 90–91- बी० एन० पाण्डे , इण्डियन नैशनलिस्ट मूवमेंट, 1885–1944] पृ० 49 --- यंग इण्डिया , 15 दिसम्बर, 1921- वही.
13. गौरखनाथ चौबे रू पूर्व उद्धरित, पृ० 52 -- हरीश कुमार य गाँधी सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2006] पृ० 70 -
14. ताराचन्द्र, पूर्व उद्धरित, खण्ड–3] पृ. 508 - वही. गिरिजा शंकर य पूर्व उद्धरित, पृ० 80–81 - बिपिन चन्द्र रू आधुनिक भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2005] पृ० 96 -
15. रामचन्द्र गुप्त य आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं . पृ० 247 वही. हरिजन, 30 अक्टूबर, 1949- सुमित सरकार य आधुनिक भारत. 1885–1947] राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली , 1995] पृ० 204-